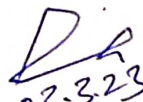


17 / 17-18

3323 अंचल अधिकारी, पाकुड़ से प्रपत्र एम0 अप्राप्त है। अभिलेख का अवलोकन किया। वर्ष 2017 के बाद से वर्णित वाद में आवेदिका उपस्थित नहीं हो रही है ना कोई पैरवी की जा रही है। अभिरुचि के अभाव में वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

  
03-3-23  
भूमि सुधार उपसमाहर्ता,  
पाकुड़।